Regd. No. CHD/0093/2012 2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2013
(BHADRA 17, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2013

No. 25—HLA of 2013/68.—The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2013 , is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 25—HLA of 2013

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. After clause (19A) of section 2 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely: -- Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 1973.

"19A.A. "premises" means any land or building or part of a building and includes –

(a) the garden, ground and out-houses, if any, appertaining to a building or part of a building; and

(b) any fittings affixed to a building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;'.

Amendment of section 61 of Haryana Act 24 of 1973

3. After clause (f) of sub-section (1) of section 61 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely. —

"(fa) all the properties, funds and dues alongwith all the legal liabilities of the trust dissolved under sub-section (1) of section 105, vested in the State Government under clause (b) of sub-section (2) and transferred to the municipality under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008 (36 of 2008);".

Insertion of section 208A in Haryana Act 24 of 1973.

4. After section 208 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"208A. Power to seal premises.-(1) The Executive Officer or the Secretary of the municipal council or the committee, as the case may be, at any time, before or after making an order under section 208, may order to seal the premises.

(2) Where any premises has been sealed, the Executive Officer or the Secretary of the municipal council or the committee, as the case may be, may order such seal to be removed for the purpose of-

(a) allowing an opportunity to the owner to bring it in conformity with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or bye-laws framed thereunder within a period, which shall not exceed three months; or

(b) allowing the functionaries of the municipality to bring it in conformity with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or bye-laws framed thereunder at the cost of the owner; or

(c) demolition, at the cost of the owner.

(3) Where any order to seal the premises has been passed under sub-section (1), the owner may file an appeal before the Deputy Commissioner concerned within a period of seven days of passing of such order. The Deputy Commissioner may either reject the appeal or stay the order to allow the owner to bring the premises in accordance with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or bye-laws framed thereunder, with such conditions including furnishing a bank guarantee of

an amount, as deemed fit. On failure of the owner to adhere to the conditions of the order, bank guarantee shall be revoked and the premises shall be liable for demolition, at the cost of the owner. Such cost shall be paid by the owner within a period of one month from the date of demolition of the said premises.

(4) In the event of non-payment of the cost by the owner as per sub-section (3), the same shall be recoverable as arrears of land revenue.

(5) No person shall remove such seal except-

(a) under an order made by the Executive Officer or the Secretary of the municipal council or the committee, as the case may be, under sub-section (2); or

(b) under an order of the appellate authority.".

Amendment of section 214 of Haryana Act 24 of 1973.

5. For the existing second proviso to section 214 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that a breach or an abetment of a breach under clause (xxx) of section 200, shall be punishable with a fine which shall not be less than one lac rupees and more than two lac rupees, and in the case of a continuing breach, with a further fine of two thousand rupees for every day during which the breach continues.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Municipal Councils/Committees are governed by the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) sections 208 and 209 of the Act deal with unauthorized constructions and illegal conversions made without prior permission of the competent authority or otherwise. The procedure for taking action against unauthorized constructions / illegal conversions provided in this Act, including order for demolition, is time consuming. For taking expeditious action against such violations, the provision for sealing of buildings, with unauthorized constructions / illegal conversions, is proposed to be incorporated in the Act.

Further, it is proposed to enhance penalty provisions, as laid down in section 214 of the Act, for breach or abetment of breach of bye-laws relating to laying of communication cables and erection of communication towers and dish antennas, for effective deterrence.

It is also proposed to introduce a clause in section 61 of the Act to the empower the Government to vest all properties, funds and liabilities of dissolved Improvement Trusts with the concerned Municipalities, for better management and control.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 8th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 25 – एच० एल० ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन ।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (19क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(19कक) "परिसर" से अभिप्राय है कोई भूमि या निर्माण या निर्माण का भाग तथा इसमें शामिल है,-

(क) निर्माण या निर्माण के भाग के साथ लगता उद्यान, स्थल या उप भवन यदि कोई हो; तथा

(ख) निर्माण या निर्माण के भाग के अधिक लाभदायक उपभोग के लिए उससे जुड़े साज-सामान;'।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 61क संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(चक) हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 (2008 का 36) की धारा 105 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार में निहित तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अधीन नगरपालिका को अन्तरित, धारा 105 की उपधारा (1) के अधीन विघटित न्यास के सभी विधिक दायित्वों सहित सभी सम्पत्तियां, निधियां तथा देय;"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 208 क का रखा जाना ।

4. मूल अधिनियम की धारा 208 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"208 क. परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति.- (1) नगर परिषद् या समिति का कार्यपालक अधिकारी या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी समय धारा 208 के अधीन आदेश करने से पूर्व या बाद में परिसरों को सीलबंद करने के आदेश कर सकता है।

(2) जहां किन्हीं परिसरों को सीलबंद कर दिया गया है, नगर परिषद् या समिति का कार्यपालक अधिकारी या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए ऐसी सीलबंद के हटाए जाने के आदेश कर सकता है,

(क) अवधि जो तीन मास से अधिक न हो के भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप विधियों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत निर्माण योजना की अनुरूपता में इसे लाने हेतु इसके स्वामी को अवसर अनुज्ञात करने;

(ख) स्वामी की लागत पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप विधियों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत निर्माण योजना की अनुरूपता मे इसे लाने हेतु नगरपालिका के कृत्यकारियों को अनुज्ञात करने ; या

(ग) इसके स्वामी की लागत पर विध्वंस करने ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन परिसर को सीलबंद करने का कोई आदेश पारित किया गया है, स्वामी ऐसे आदेश के पारित होने के सात दिनों की अवधि के भीतर सम्बद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। उपायुक्त या तो अपील अस्वीकार कर सकता है या राशि की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करते हुए ऐसी शर्तों सहित जो वह ठीक समझे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियो के उपबन्धों के अनुसार स्वामी को स्वीकृत निर्माण योजना के अनुसार परिसरो को लाने हेतु अनुज्ञात करने के लिए रोक आदेश कर सकता है । आदेश की शर्तों की अनुपालना करने में स्वामी के असफल रहने पर बैंक गारन्टी रद्द कर दी जाएगी तथा परिसर, स्वामी की लागत पर विध्वंस के लिए दायी होंगे। ऐसी लागत, उक्त परिसरों के विध्वंस की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर स्वामी द्वारा भुगतान की जाएगी।

(4) उपधारा (3) के अनुसार स्वामी द्वारा लागत के अंसदाय की दशा में, यह राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी।

(5) कोई भी व्यक्ति-

(क) उपधारा (2) के अधीन नगर परिषद् या समिति के कार्यपालक अधिकारी या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किये गये आदेश के अधीन; या

(ख) अपील प्राधिकारी के आदेश के अधीन,

के सिवाए ऐसी सीलबंद को नहीं हटायेगा ।"

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 214 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 214 के विद्यमान दूसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि धारा 200 के खण्ड (ग ग ग) के अधीन भंग या भंग की दुष्प्रेरणा, जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा तथा लगातार भंग की दशा में, प्रत्येक दिन जिसके दौरान भंग जारी रहता है दो हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा ।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य में नगर परिषदें/पालिकायें, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 24 ऑफ 1973) द्वारा संचालित होती हैं। अधिनियम की धारा 208 तथा 209 द्वारा अनाधिकृत निर्माण तथा गैर कानूनी परिवर्तन जो कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किए जाते हैं, से सम्बन्धित है। इस अधिनियम में अनाधिकृत निर्माण/गैर कानूनी परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही करने से संबंधित प्रावधान किए गये हैं, जिसमें ध्वंस का आदेश समय लेने वाला है। उल्लंघना के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के लिए अनाधिकृत निर्माण/गैर कानूनी परिवर्तन को बंद करने का प्रावधान अधिनियम में किया जाना प्रस्तावित है।

आगे, संचार तारें बिछाने तथा संचार टावर लगाने व डिश एन्टीना लगाने से सम्बन्धित नियम जिसका कि अधिनियम की धारा 214 में प्रावधान है, से सम्बन्धित नियमों की उल्लंघना को रोकने से सम्बन्धित जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 61 में एक अनुच्छेद लाने का भी प्रस्ताव है जिसके द्वारा नगर निगमों के कार्य क्षेत्र में आने वाले सुधार मण्डलों की सभी सम्पत्तियां, वित्तीय संसाधन तथा जिम्मेवारियां सम्बन्धित नगर निगम में निहित होंगी जोकि उनके बेहतर प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिये होंगी ।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

51487—H.V.S.—H.G.P., Chd.